उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 1958 /VII-2-18/04(01)–एम0एस0एम0ई0/2018
देहरादूनः दिनांकः 05 अक्टूबर, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण की व्यापक सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे के सृजन और अनुकूल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए **उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति, 2018** प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और संबंधित सेवा अवसंरचना नीति, 2018

1. **प्रस्तावनाः**

1.1 इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी को परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, यह तकनीक प्रदूषण रहित, सस्ती ईंधन लागत, न्यूनतम अनुरक्षण व्यय एवं सुरक्षित होने के साथ ही आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य है, केन्द्र सरकार 2030 तक भारत को **"इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र"** बनाने की योजना बना रही है, जिससे स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र की संकल्पना को साकार किया जा सके।

1.2 इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में हुये तकनीकी–आर्थिक विकास एवं भारत सरकार के दृष्टिकोण के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को विकसित करने के लिये एक नीति लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

2. **नीति के उद्देश्यः**

2.1 राज्य में हरित पर्यावरण के सृजन हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।

2.2 इलेक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) के निर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तराखण्ड को पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

2.3 इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति एवं मांग के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन।

2.4 आंतरिक दहन (आईसी) इंजन से इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) में परिवर्तन हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन।

2.5 संक्रमण काल में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग–इन–इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन।

2.6 राज्य में विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने वाले उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये मानव पूंजी तथा विद्युत क्षमता में वृद्धि।

3. **परिभाषाएंः**

3.1 इस नीति में प्रयोग की गई विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैः–

(क) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से एक इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) अभिप्रेत है, जो अपनी रिचार्जेबल बैटरी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसे आम घरेलू बिजली द्वारा रिचार्ज किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) प्रणोदन के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है। वाहन के प्रकार के आधार पर, रोटरी मोटर्स द्वारा संचालित पहियों या प्रोपेलर्स द्वारा या गतिशील मोटरों द्वारा ट्रैक किए गए वाहनों के मामले में गति प्रदान की जा सकती है। ईवी में औद्योगिक इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक

मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, पूर्ण आकार की इलेक्ट्रिक कार, वैन, बसें और अन्य इलेक्ट्रिक यात्री वाहन भी सम्मिलित हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम संख्या 2(प) में दी गयी परिभाषा के अनुसार "बैटरी संचालित वाहन" का अर्थ सड़कों पर प्रयोग किये जाने के लिए अनुकूलित और अनन्य रूप से एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित वाहन से है, जिसकी संकर्षण ऊर्जा की आपूर्ति केवल वाहनों में लगायी गयी संकर्षण बैटरी से होती है;

(ख) **"ईवी घटक"** से ईवी घटक के मोटर नियंत्रक, विद्युत इंजन (मोटर), पुर्नउत्पादक ब्रेकिंग, ड्राइव सिस्टम और संबंधित घटक/असेंबलीज अभिप्रेत है;

(ग) इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी (ईवीबी) या संकर्षण बैटरी से ऐसी बैटरी अभिप्रेत है; जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) के प्रणोदन को शक्ति देने के लिए उपयोग की जाती है। वाहन बैटरी आमतौर पर एक द्वितीयक (रिचार्जेबल) बैटरी होती है। इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन 'एडवांस बैटरी' से न्यू जनरेशन लेड रहित बैटरी जैसेः लिथियम पॉलिमर, लिथियम आयरन फॉस्फेट, निकल मेटल हाइब्रिड, जिंक एयर, सोडियम एयर, निकेल जिंक, लिथियम एयर इत्यादि, अभिप्रेत है;

(घ) **"इलेक्ट्रिक वाहन और इसकी घटक विनिर्माण इकाई (ईवीएमयू)"** में इलेक्ट्रिक वाहन व उनके घटक जैसे मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक किट इत्यादि के निर्माण/असेंबलिंग में शामिल सभी विनिर्माण उद्यम सम्मिलित हैं;

(ड़) **"ईवी बैटरी विनिर्माण (ईबीयू)"** में सभी ईवी बैटरी विनिर्माण या असेंबलिंग इकाइयां सम्मिलित हैं;

(च) **ईवी बैटरी घटक,** से इलेक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) के लिए बैटरी पैक डिजाइन जो कई यांत्रिक और विद्युत घटक प्रणालियों के संयोजन को सम्मिलित करते हैं तथा जो पैक के मूल आवश्यक कार्यों को निष्पादित करते हैं अभिप्रेत हैं, बैटरी पैक में कुल वोल्टेज और विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कई अलग–अलग सेल श्रेणी व समानांतर क्रम में संयोज़ित होते हैं। एक बैटरी में मॉड्यूल नामक छोटे स्टैक्स होते हैं, जिन्हें एक ही पैक में रखा जाता है। मॉड्यूल में शीतलन तंत्र, तापमान मॉनीटर, अन्य डिवाइस और बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) भी सम्मिलित हैं;

(छ) **"इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन"**, जिसे ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक रिचार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट, चार्ज पॉइंट और ईवीएसई (इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई उपकरण) भी कहा जाता है, से बुनियादी ढांचे का एक तत्व अभिप्रेत है, जो विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति व बिजली के वाहनों की रिचार्जिंग करता है। चार्जिंग स्टेशन उपकरण में केवल फास्ट चार्जिंग स्टेशनों से संबंधित चार्जिंग पोस्ट, कैबिनेट चार्जिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण आदि के साथ एकीकृत स्वचालित चार्जिंग स्टेशन सम्मिलित हैं;

(ज) **ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर** में निम्नलिखित चार प्रकार की चार्जिंग सुविधाएं सम्मिलित हैं, अर्थातः

(i) घरेलू उपयोगकर्ता सुविधा (व्यक्तिगत)।

(ii) सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा (सरकारी सुविधाएं, बस डिपो, रेलवे स्टेशन इत्यादि)।

(iii) सामान्य चार्जिंग सुविधा (मॉल, आवासीय भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि)।

(iv) वाणिज्यिक चार्जिंग सुविधा (सड़क के किनारे, ईंधन स्टेशन आदि)।

(झ) **सेवा उद्यम** से गतिशील सेवा प्रदान करने वाली इकाईयां/स्लो चार्जिंग स्टेशन और/या बैटरी स्वैपिंग स्टेशन टू–व्हीलर, थ्री–व्हीलर, कार, बसें और अन्य फोर–व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन अभिप्रेत है, इसमें ईवी और बैटरी की मरम्मत और रखरखाव के स्टेशन भी सम्मिलित हैं;

(ञ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम ईवी उद्यमों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2006) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा में आने वाले ईवी उद्यम अभिप्रेत है;

(ट) **वृहद ईवी उद्यम** से ऐसे ईवी उद्यम अभिप्रेत है, जहां विनिर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में संयंत्र और मशीनरी पर निवेश रू. 10 करोड़ से रू. 50 करोड़ तक हो और सेवा प्रदाता गतिविधियों के सम्बन्ध में उपस्कर (equipment) में निवेश रू. 5 करोड़ से रू. 50 करोड़ तक हो।

(ठ) **लार्ज, मैगा तथा अल्ट्रा मैगा उद्यम/परियोजनाओं** से मैगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति, 2015 में परिभाषित लार्ज, मैगा तथा अल्ट्रा मैगा उद्यम/परियोजनाएं अभिप्रेत हैं,

(ड) अचल परिसम्पत्तियों से भूमि, भवन, प्लांट व मशीनरी तथा अन्य ऐसे उपकरण जो सीधे उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं; जैसे, टूल्स, जिक्स, डाईज, मोल्ड्स, यूटिलिटीज एवं अन्य हैण्डलिंग उपकरण अभिप्रेत हैं;

4. नीति का कार्यान्वयनः

4.1 यदि किसी भी स्तर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके लिए नीति मे किसी भी संशोधन या अधिक्रमण की आवश्यकता हो, तो केवल शासन यथा प्रक्रिया ऐसे संशोधन/अधिक्रमण को मंजूरी देने के लिए अधिकृत होगा।

4.2 यह नीति राज्य की मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015, वृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 तथा एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 की पूरक है।

4.3 इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों का दावा करने वाली पात्र इकाईयां मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015 के अन्तर्गत प्रोत्साहन का दावा कर सकती हैं, यदि इस नीति में समान/समरूप शीर्ष के अधीन कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।

4.4 इस नीति के अंतर्गत पात्र इकाइयां एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 तथा वृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए अर्हता के आधार पर दावा कर सकती हैं, यदि इस नीति में समान/समरूप शीर्ष के अधीन कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।

4.5 इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन, लैड के साथ प्रमुख रासायनिक तत्व के रूप में "परम्परागत बैटरी" के असेम्बलिंग/विनिर्माण के लिये सभी उपलब्ध प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत होगा।

5. नीतिगत ढांचा :

5.1 इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तनः

दहनशील वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तन के लिए, उत्तराखण्ड सरकार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी और राज्य में एचईवी की मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। संक्रमणकाल में, राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन और वस्तुओं के परिवहन में ईवीएस के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। भारत सरकार द्वारा दीर्घ काल के लिये तय किये जा रहे Transition के मानकों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

5.2 लोक परिवहनः

लोक परिवहन में ईवी को बढ़ावा देने के लिए, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना परिवहन विभाग अलग से निर्धारित करेगा।

इस संदर्भ में ईवी लोक परिवहन के लिए देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी तथा इनके मध्य इंटरसिटी रूट्स पर हरित मार्गों को बढ़ावा दिया जाएगा।

5.3 निजी परिवहनः

राज्य सरकार कम दूरी की गतिशीलता के लिए ईवी टू–व्हीलर और ईवी कारों को अपनाने के लिए बढ़ावा देगी, और इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कैब्स, स्कूल बसों/वैन, एम्बुलेंस इत्यादि के ट्रांजीशन को भी प्रोत्साहित करेगी। पांच प्रमुख शहरों– देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में वर्ष 2025 तक अधिक विद्युत गतिशीलता का प्रयास किया जायेगा।

5.4 माल परिवहन–

माल परिवहन में ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर में ईवी– थ्री–व्हीलर, फोर–व्हीलर और छोटे माल वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य सरकार उत्तराखण्ड में ईवी बैटरी और चार्जिंग उपकरण निर्माण को बढ़ावा देगी। उत्तराखण्ड सरकार उच्च लाभ सहित लिथियम बैटरी के निर्माण को भी प्रोत्साहित करेगी।

5.5 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर–

5.5.1 उत्तराखण्ड सरकार, राज्य में चार्जिंग अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए व्यवहार्य व्यवसायिक उद्यम को प्रोत्साहित करेगी, इसके लिएः–

(i) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ii) सार्वजनिक भवनों और स्थानों में आधारभूत संरचना विकसित की जायेगी और चार्जिंग आउटलेट, नियमित विद्युत आपूर्ति आदि को स्थापित किये जाने की व्यवस्था करते हुए इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, प्रमुख राजमार्गों पर वाहनों की सघनता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर यथासंभव गतिशील चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(iv) राज्य में नए अपार्टमेंट, ऊंची इमारतों, प्रौद्योगिकी पार्कों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जायेगा। राज्य ईवी बैटरी के निस्तारण के लिए रणनीति विकसित करेगा, और बैटरी डिस्पोजल में लगी हुई कंपनियों को बढ़ावा देगा।

(v) हाइड्रोजन संचालित ईंधन कोशिकाओं, या सौर संचालित कोशिकाओं के लिए स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को बढ़ावा दिया जायेगा।

5.5.2 इस संदर्भ में, राज्य सरकार निजी निवेशकों को राज्य में ईवी चार्जिंग सिस्टम और आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उत्तराखण्ड सरकार विद्युत आपूर्ति स्टेशनों को वाणिज्यिक व्यवहार्य दरों के साथ विशेष डे–टाइम टैरिफ की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी। इस नीति में अधिसूचना जारी होने के छः माह के भीतर ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन इस संदर्भ में भारत सरकार तथा अन्य राज्यों की नीति का संज्ञान लेकर विशेष पॉवर टैरिफ पॉलिसी लाने पर विचार कर सकता है।

5.6 संक्रमण काल (ट्रांजीशन पीरियड) के दौरान हाइब्रिड ईवीएस (एचईवी) को प्रोत्साहनः

एचईवी आंतरिक दहन इंजन प्रणोदन प्रणाली और विद्युत मोटर प्रणोदन प्रणाली दोनों का संयोजन है। एचईवी का उपयोग न केवल पर्यावरण में वायु प्रदूषण को कम करता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी मदद करता है। अतएव, उत्तराखण्ड राज्य संक्रमणकाल के दौरान भी एचईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

5.7 ईवी विनिर्माण क्षेत्र/पार्कः

उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य को ईवी विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक सुविधाओं के साथ गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की है। इसके लिए, ईवी विनिर्माण क्षेत्र और पार्कों को बढ़ावा दिया जाएगा और यह अपशिष्ट निस्तारण, सीवेज उपचार, परीक्षण सुविधाओं आदि सहित सामान्य बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होंगे।

5.8 स्वच्छ ईंधन का उपयोगः

चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य परिवहन प्रणाली को प्रदूषण मुक्त करना है, इसलिए बिजली के पारंपरिक स्त्रोत पर ईवी की निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है। एक सतत अवधारणा को अपनाते हुए उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य इस नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। संक्रमणकाल में, राज्य इलेक्ट्रिक हाईब्रिड कारों के लिए मेंथाल ईंधन सेल के उपयोग को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, लिथियम बैटरी के खतरों को दूर करने के लिए, राज्य का उद्देश्य हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल और सौर–संचालित सेल के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड में ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी इकाइयों (ईबीयू) और सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.9 अनुसंधान और विकासः

चूंकि ईवी प्रौद्योगिकी अभी विकसित हो रही है, इसलिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी, स्मार्ट डिजाइन और राज्य में ईवीएस में संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक, उद्योग और अन्य हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए नीति, बैटरी प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे, प्रमाणन और प्रशिक्षण चार्ज करने का इरादा रखती है। इसके अलावा, यह नीति ईवी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र प्रौद्योगिकी को विकसित करने, विशेष रूप से राज्य में ईवीएस में स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी को सहायता प्रदान करेगी।

5.10 स्टार्टप्स और नवोन्मेषः

राज्य में ईवी विनिर्माण तथा प्रासंगिक प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान और नवोन्मेष पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत किया जायेगा। उत्तराखंड सरकार इस क्षेत्र में स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करेगी। अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में ईवी गतिशीलता या अभिनव व्यावसायिक मॉडल की सुविधा प्रदान करने वाले ऊष्मायन केंद्रों (Incubation Centre) को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति के तहत बनाए गए स्टार्ट–अप कोष का भी इस संदर्भ में उपयोग किया जाएगा।

5.11 कौशल विकासः

उद्योग की मानवशक्ति की आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए, ईवी कौशल केंद्रों को उद्योग के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रीय पाठ्यक्रम और कोर्सेज, पेशेवर संस्थानों, पॉलिटेक्निक और अन्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में शुरू किये जायेंगे। उद्योग की जरूरतों के अनुसार विद्युत गतिशीलता, मरम्मत और रखरखाव, बैटरी विनिर्माण और रखरखाव पर अल्पकालिक कोर्सेज भी शुरू

किये जायेंगे। ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयों, प्रशिक्षुओं/छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा। इन गतिविधियों को उत्तराखंड कौशल विकास मिशन एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तत्वावधान में किया जाएगा।

5.12 **विद्युत क्षमता को बढ़ानाः**

इलेक्ट्रिक वाहनों का उच्चतर बाजार में प्रवेश विद्यमान विद्युत आपूर्ति, विशेष रूप से कम वोल्टेज (एलवी) वितरण ग्रिड पर दबाव डालेगा। इसलिए, उत्तराखंड सरकार बढ़ती विद्युत मांगों को पूरा करने के लिए राज्य में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए सामरिक रोडमैप तैयार करेगी।

5.13 **सतत पारिस्थितिकी तंत्र समर्थनः**

इलेक्ट्रिक वाहनों के सेवा प्रदाताओं को राज्य द्वारा सोलर ग्रिड से परिवर्तनशील टैरिफ रेट्स पर विद्युत आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार स्मार्ट चार्जर्स और बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित करेगी। इसलिए, सेवा प्रदाता को पार्किंग स्पेस पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने, विशेष क्षेत्रों, जहां पर अधिकांश कार्यालय स्थित हैं, में सामान्य पार्किंग स्पेस विकसित करने और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य चार्जिंग स्पेस की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

6. <u>इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणकर्ताओं को प्रोत्साहनः</u>

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित होने वाले उद्यम/इकाई/संयंत्र, जिन्हें इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स और/या इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के रूप में परिभाषित किया गया है, निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगेः

(i) **ब्याज उपादानः** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर देय ब्याज में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए एम0एस0एम0ई0 यूनिट्स को एम0एस0एम0ई0 नीति, 2015, रू0 10 करोड़ से रू0 50 करोड़ के बृहद उद्यमों को वृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 तथा लार्ज, मैगा व अल्ट्रा मैगा उद्यमों को मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, 2015 के उपबन्धों के अनुरूप।

(ii) **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्तिः** वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से 5 वर्ष तक के लिए विद्युत बिलों में देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

(iii) **स्टाम्प शुल्क प्रभार से छूटः** एम0एस0एम0ई0 नीति, 2015, मैगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2015 तथा वृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 के उपबन्धों के अनुरूप।

(iv) **ईपीएफ प्रतिपूर्तिः** ईवी क्षेत्र में ऐसी सभी नई इकाइयां, जिन्होने 100 या उससे अधिक कुशल/अकुशल कर्मकरों को सीधे सेवायोजित किया है, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 10 वर्ष के लिए, ईपीएफ अभिदान के 50 प्रतिशत मात्रा की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा रू. 2 करोड़।

(v) **एसजीएसटी प्रतिपूर्तिः** B2C को विक्रय किये गये तैयार माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए, रू0 10 करोड़ से रू0 50 करोड़ के वृहद उद्यमों एवं एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उद्यमों को 30 प्रतिशत और लार्ज, मैगा तथा अल्ट्रा मैगा उद्यमों को मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, 2015 के प्राविधानों के अनुरूप (30 प्रतिशत/50 प्रतिशत)

(vi) **सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की लागत में छूटः** लार्ज, मैगा तथा अल्ट्रा मैगा उद्यमों को मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, 2015 तथा रू0 10 करोड़ से रू0 50 करोड़ के वृहद उद्यमों को बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 के उपबन्धों के अनुरूप।

(vii) **ई0टी0पी0 उपादानः** मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, 2015 के उपबन्धों के अनुरूप रू0 10 करोड़ से रू0 50 करोड़ के अनुसार।

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र अभी भी प्रारम्भिक चरण में है और इसे समर्थन व प्रोत्साहन की आवश्यकता है। राज्य के सभी हिस्सों में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक एकल क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रस्तावित रियायतें राज्य के सभी हिस्सों में समान रूप से लागू होंगी।

7. **पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन :**

चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी विनिर्माण उद्योग प्रकृति को प्रदूषणमुक्त कर रहा है, इसलिए राज्य में पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई.टी.पी. संयंत्र की स्थापना में किये गये पूंजीगत व्यय पर रू0 10 करोड़ से 50 करोड़ के उद्यमों को वृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 तथा लार्ज, मैगा एवं अल्ट्रा मैगा उद्यमों को मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, 2015 के उपबन्धों के अनुरूप प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।

8. **ईवी गतिशीलता प्रोत्साहन :**

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रेरित करने तथा बाजार के सृजन के लिए, उत्तराखंड सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहनों का विस्तार करेगी:–

(i) **क्रेताओं को कर में छूटः** उत्तराखंड राज्य के भीतर ईवीएस के **पहले एक लाख क्रेताओं को** नीति के प्रभावी रहने के दौरान निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी–

(a) पांच वर्ष हेतु मोटरयान कर से शत प्रतिशत छूट।

(b) पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष के लिए वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्टेज कैरिज परमिट शुल्क पर शत प्रतिशत छूट।

(ii) **विभागीय नीतियों के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन (Electrical Vehicle) सेवा उद्यमों को प्रोत्साहन सहायताः** इस नीति के अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 तथा रू0 10 से रू0 50 करोड़ की श्रेणी के ई0वी0 बैटरी चार्जिंग/संबंधित अवसंरचनात्मक उद्यमों को विभागीय नीतियों में वित्त पोषित परियोजना बनाया जायेगा।

9. **अन्य प्रोत्साहनः**

9.1 **कौशल विकासः** ईवी/एचईवी कॉम्पोनेंट विनिर्माणक तथा बैटरी मरम्मत/रखरखाव आदि की कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इकाइयों को, 50 प्रशिक्षार्थियों के लिए 6 माह तक प्रतिमाह रू. 1000 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से प्रशिक्षण प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी। ऐसी इकाइयों को उत्तराखंड कौशल विकास मिशन तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पी0आई0ए0 के रूप में सूचीबद्ध और उत्तराखण्ड कौशल विकास से अनुमोदित पाठयक्रमों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

9.2 **रूट परमिटः** राज्य में विभिन्न शहरों/नगरों के अन्दर नगर बस सेवा के लिए रूट परमिट प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

9.3 **प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) से छूट** इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, यदि लागू हो, के अधीन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र से छूट दी जायेगी।

10. **ईज ऑफ डुईंग बिजनेसः**

राज्य की मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2015 की दृष्टि और लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, यह नीति राज्य में व्यवसाय की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है।

10.1 **एकल खिड़की:** ईवी विनिर्माण/ईवी बैटरी विनिर्माणक और सेवा प्रदाताओं इकाईयों की स्थापना के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक अनुमोदन राज्य की एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सीधे दिये जायेंगे।

10.2 **श्रमिक अनुज्ञा:** उत्तराखंड सरकार ईवी/ईवी बैटरी विनिर्माणक उद्योगों को श्रम सम्बन्धी विधियों के अधीन रहते हुये अनुमति प्रदान करेगी।

11. इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु निम्नलिखित सुविधायें भी अतिरिक्त रूप में प्रदान की जायेंगी:–

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट उदार नीति से जारी किये जायें।

(ii) इलेक्ट्रिक बसों की उच्च लागत को देखते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 71 के अन्तर्गत किये गये प्राविधान के अनुसार प्रथम चरण में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वाहनों को परमिट जारी करने में प्राथमिकता प्रदान की जाय।

(iii) सिटी बसों को परमिट जारी करने की स्थिति में इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वामियों को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

(iv) संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के लिये ऐसे मार्गों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे इन वाहनों के सफल संचालन की संभाव्यता सुनिश्चित हो सके।

(v) इलेक्ट्रिक बसों को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115 के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र से भी छूट प्रदान की जायेगी।

12. **प्रारम्भ:**

उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और संबंधित सेवा अवसंरचना नीति, 2018 गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होगी और पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1958 / VII-3 / 04(01)–एम0एस0एम0ई0 / 2018, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 आयुक्त गढवाल / कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
10 महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
11 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
13 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
14 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
15 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
16 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
17 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
18 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।